बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

साक्षात्कार कार्यक्रम एवं विस्तृत निदेश

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सुपरस्पेशलिटी विभाग के अधीन कुल 17 विषयों के सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या – 01/2024 से 17/2024 के अन्तर्गत साक्षात्कार का कार्यक्रम निम्न प्रकार है:–

विज्ञापन संख्या एवं विषय	दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समयः 10:30 बजे पूर्वाह्न से) उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	द्वितीय पाली (समयः 2:30 बजे अपराह्न से) उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
01/2024 कार्डियोथोरेसिक सर्जरी	सोमवार 05.02.2024	202401000030, 202401000038 , 202401000041, 202401000042	
03/2024 न्यूरो सर्जरी	सोमवार 05.02.2024	202403000001, 202403000002, 202403000005, 202403000006, 202403000009, 202403000010, 202403000011, 202403000013, 202403000014, 202403000015, 202403000016, 202403000017, 202403000018, 202403000019, 202403000020, 202403000022	202403000023, 202403000025 , 202403000026 , 202403000028, 202403000031 , 202403000032 , 202403000033, 202403000036 , 202403000037 , 202403000038, 202403000040 , 202403000042 , 202403000043, 202403000044, 202403000046 , 202403000047
04/2024 न्यूरोलॉजी	सोमवार 05.02.2024	202404000001, 202404000006, 202404000008, 202404000009, 202404000010 , 202404000016	202404000017, 202404000021 , 202404000022, 202404000025, 202404000027
05/2024 नेफ्रोलॉजी	सोमवार 05.02.2024	202405000001, 202405000002, 202405000003, 202405000005, 202405000006, 202405000008, 202405000010, 202405000011	202405000012, 202405000013, 202405000014, 202405000015, 202405000016 , 202405000017, 202405000018
02/2024 कार्डियोलॉजी	मंगलवार 06.02.2024	202402000001, 202402000002, 202402000003, 202402000005, 202402000006, 202402000007, 202402000008, 202402000010, 202402000011, 202402000013, 202402000014, 202402000017, 202402000018, 202402000019, 202402000020, 202402000023, 202402000024, 202402000028, 202402000029, 202402000030, 202402000032, 202402000033, 202402000034, 202402000035	202402000036, 202402000037, 202402000038, 202402000039, 202402000040, 202402000041, 202402000042, 202402000043, 202402000044, 202402000045, 202402000046, 202402000049, 202402000050, 202402000051, 202402000052, 202402000053, 202402000054, 202402000055, 202402000056, 202402000057, 202402000059
08/2024 नियोनेटोलॉजी	मंगलवार 06.02.2024	202408000001 , 202408000002, 202408000003, 202408000004 , 202408000005, 202408000007, 202408000009 , 202408000010, 202408000011	xxxxx
10/2024 शिशु सर्जरी	मंगलवार 06.02.2024	202410000004, 202410000005, 202410000007, 202410000008, 202410000009, 202410000011, 202410000012, 202410000013	202410000014, 202410000016, 202410000017, 202410000019, 202410000021, 202410000022, 202410000023
07/2024 गैस्ट्रोइन्ट्रोलॉजी	बुधवार 07.02.2024	202407000002, 202407000003, 202407000004, 202407000006, 202407000007, 202407000008, 202407000009, 202407000010, 202407000012	202407000013, 202407000014, 202407000015, 202407000016, 202407000017, 202407000018, 202407000019, 202407000020, 202407000021
09/2024 प्लास्टिक सर्जरी	बुधवार 07.02.2024	202409000001, 202409000005, 202409000009, 202409000011, 202409000012, 202409000013, 202409000015, 202409000016, 202409000018, 202409000020, 202409000021, 202409000022, 202409000023, 202409000024	202409000025, 202409000026, 202409000027, 202409000028, 202409000029, 202409000030, 202409000031, 202409000032, 202409000033, 202409000034, 202409000035, 202409000036, 202409000037, 202409000040
11/2024 यूरोलॉजी	बुधवार 07.02.2024	202411000001 , 202411000002 , 202411000003 , 202411000004 , 202411000005 , 202411000006 , 202411000007 , 202411000008 , 202411000010 , 202411000011, 202411000012 , 202411000013 , 202411000014 , 202411000015	202411000016, 202411000017, 202411000018, 202411000020, 202411000021, 202411000022, 202411000023, 202411000024, 202411000025, 202411000027, 202411000028, 202411000029, 202411000030, 202411000031
	गुरूवार 08.02.2024	202411000032, 202411000033, 202411000035, 202411000036, 202411000038, 202411000039, 202411000040, 202411000041, 202411000042, 202411000043, 202411000044, 202411000045, 202411000046, 202411000047	202411000048, 202411000049, 202411000050, 202411000051, 202411000053, 202411000054, 202411000055, 202411000056, 202411000057, 202411000058, 202411000059, 202411000061, 202411000062, 202411000064
12/2024 क्रिटिकल केयर मेडिसिन	बुधवार 07.02.2024	202412000002, 202412000003, 202412000004, 202412000005, 202412000006, 202412000008, 202412000009, 202412000011	xxxxx
13/2024 वाइरोलॉजी	बुधवार 07.02.2024	202413000004	xxxxx

विज्ञापन संख्या एवं विषय	दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समयः 10:30 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समयः 2:30 बजे अपराह्न से)
		उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
06/2024 इन्डोक्राइनोलॉजी	गुरूवार 08.02.2024	202406000001, 202406000004, 202406000005	xxxxx
14/2024 गाइनीकोलॉजीकल ऑन्कोलॉजी	गुरूवार 08.02.2024	202414000003, 202414000007	xxxxx
16/2024 सर्जिकल ऑन्कोलॉजी	गुरूवार 08.02.2024	202416000003, 202416000004, 202416000005, 202416000007, 202416000008, 202416000010, 202416000011, 202416000015, 202416000016, 202416000019	xxxxx
17/2024 Preventive Oncology	गुरूवार 08.02.2024	202417000002, 202417000006, 202417000010, 202417000012, 202417000025, 202417000032, 202417000036	xxxxx
15/2024 मेडिकल ऑन्कोलॉजी	शनिवार 10.02.2024	202415000001, 202415000004, 202415000005, 202415000006	xxxxx

नोटः— **वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा दिनांक 31.01.2024 को प्रकाशित आवश्यक सूचना के आलोक में ऑनलाईन आवेदन को अंतिम रूप से दिनांक 01.02.2024 तक भरा जाएगा, वैसे आवेदकों का भी साक्षात्कार उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराया जाएगा। वैसे आवेदकों की सूची बाद में प्रकाशित की जाएगी। अपरिहार्य कारणों से कतिपय विज्ञापनों के साक्षात्कार की तिथि में परिवर्त्तन हो सकता है।**

2. उपर्युक्त विज्ञापनों के लिए आवेदित उम्मीदवारों की पात्रता/अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार पत्र निर्गत होने और साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से किसी भी उम्मीदवार की पात्रता/अभ्यर्थिता सम्पुष्ट नहीं होती है। उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र **साक्षात्कार के प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व** से ही आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे जिसे अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर डालकर डाउनलोड कर साक्षात्कार में उपस्थित हो सकते है। **साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे।** आयोग के **उक्त वेबसाईट पर 1. आवेदन पत्र का सार प्रपत्र– I एवं 2. परीक्षावार प्राप्तांक, प्रतिशत श्रेणी एवं वांछित अनुभव विवरणी प्रपत्र– II उपलब्ध रहेंगे जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दिन लाना अनिवार्य है।** प्रपत्र–I एवं प्रपत्र–II में उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली जानकारियाँ/सूचनाएँ/दावे से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारों की अर्हता/अंक गणना प्रभावित होगी तथा इस सम्बन्ध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा एवं तत्सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

3. **साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपने मूल आवेदन में योग्यता सम्बन्धी दावे/सूचना से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकार से निर्गत निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल (Original) प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ निम्नांकित क्रमानुसार एक सेट में भी लाना अनिवार्य होगाः–**

(i) परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किये गये ऑनलाईन आवेदन की Hard Copy की प्रति।

(ii) जन्म तिथि के साक्ष्य (Proof of Date of Birth) हेतु मैट्रिक का प्रमाण–पत्र/ अंक प्रमाण–पत्र।

(iii) एन॰एम॰सी॰ अथवा राज्य चिकित्सा रजिस्टर या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में निबंधन से संबंधित प्रमाण–पत्र।

(iv) एम॰बी॰बी॰एस॰ की सभी परीक्षाओं/सत्र का उत्तीर्ण अंक पत्र।

(v) एम॰बी॰बी॰एस॰ की सभी परीक्षाओं/सत्र का अनुत्तीर्ण अंक पत्र (अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में)। **नोटः– विज्ञापन के अंकित शर्त्तों के आलोक में उक्त प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।**

(vi) विदेशी मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की गणना हेतु विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट (एफ॰एम॰जी॰ई॰) से संबंधित प्रमाण–पत्र। **नोटः– विज्ञापन के अंकित शर्त्तों के आलोक में उक्त प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।**

(vii) एम॰बी॰बी॰एस॰ के सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण होने संबंधी अवसर प्रमाण पत्र (Attempt Certificate)। **नोटः– विज्ञापन के अंकित शर्त्तों के आलोक में उक्त प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।**

(viii) एम॰बी॰बी॰एस॰ प्रमाण पत्र।

(ix) विषय विशेष में MD/MS अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्पेशलिटी में समकक्ष मानी गयी अर्हता की उपाधि प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र

(x) MD/MS के समकक्ष अर्हता सम्बन्धी डिग्री का दावा करने की स्थिति में NMC द्वारा MD/MS के समकक्ष अर्हता होने संबंधी साक्ष्य/प्रमाण

(xi) उसी स्पेशलिटी में डी॰एम॰/एम॰सी॰एच॰/डी॰एन॰बी॰ (Super-Speciality)

(xii) DM/M.Ch./DNB,Superspeciality Degree पाँच/छः वर्षीय होने की स्थिति में उक्त आशय का संबंधित संस्थान से निर्गत साक्ष्य/प्रमाण पत्र **नोटः– विज्ञापन के अंकित शर्त्तों के आलोक में उक्त प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।**

(xiii) पीएच॰डी॰ उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र।

(xiv) चिकित्सा शिक्षा के कार्यानुभव हेतु सक्षम प्राधिकार (प्राचार्य/अधीक्षक/सिविल सर्जन/निदेशक) द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र, जिसमें कार्य करने की अवधि तथा उक्त संस्थान के एन॰एम॰सी॰ से मान्यता प्राप्त होने का स्पष्ट उल्लेख हो। (संशय की स्थिति में दावा किये गये अनुभव प्रमाण पत्र में अंकित पदनाम चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र का है, से सम्बन्धित साक्ष्य/प्रमाण जमा करना सुनिश्चित करेंगे)।

(xv) सभी प्रकाशित/Accepted जर्नल्स की प्रति। (दावा किये गये शोध प्रकाशन जो मेडलाईन पबमेड सेन्ट्रल, साईस साइटेशन इंडेक्स, साईस साइटेशन इंडेक्स इक्सपैंडिड एम्बेस, स्कोपस, डायरेक्टरी ऑफ ओपन अक्सेस जर्नल्स (डीओएजे) में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए है, से सम्बन्धित साक्ष्य/प्रमाण पत्र भी समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

(xvi) अगर आपने जर्नल्स के अंतर्गत Accepted for publication का दावा किया है तो Journal Acceptence सम्बन्धी साक्ष्य/प्रमाण पत्र।

(xvii) विज्ञापन की कंडिका 4(iii) के आलोक में जर्नल्स के मुख्य लेखक के प्रमाण के लिए उस विषय के प्रभारी प्राध्यापक अथवा विभागाध्यक्ष जिसके अधीन वह अपना लेख (पेपर) तैयार किया है, से इस आशय का प्रमाण पत्र की प्रति। नोटः– **विज्ञापन के अंकित शर्तों के आलोक में उक्त प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।**

(xviii) एम॰बी॰बी॰एस॰, एम॰डी॰, एम॰एस॰, पीएच॰डी॰, डी॰एम॰, डीएन॰बी॰, एम॰सी॰एच॰ (Super Speciality) की डिग्री एन॰एम॰सी॰ से मान्यता प्राप्त है। इस आशय का संबंधित कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान से निर्गत प्रमाण पत्र की प्रतियाँ।

(xix) बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सक के लिए उम्र सीमा में छूट के लिए तत्संबंधी प्रमाण पत्र।

(xx) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। (उम्र सीमा में छूट के लिए)

(xxi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। (शुल्क में रियायत/उम्र सीमा में छूट के लिए)।

(xxii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)। (शुल्क में रियायत/उम्र सीमा में छूट के लिए)।

(xxiii) बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शुल्क में रियायत/उम्र सीमा में छूट के लिए) (सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या –15760, दिनांक–02.09.2022 के अनुसार)।

(xxiv) दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र। (शुल्क में रियायत/उम्र सीमा में छूट के लिए)।

(xxv) बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चूके हैं।

(xxvi) भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।

(xxvii) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हों तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

(xxviii) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।

(xxix) हाल का खिंचा हुआ 2 (दो) फोटो।

उपर्युक्त प्रमाण–पत्र सत्यापन के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर (अधिकतम एक सप्ताह) देते हुए औपबंधिक रूप से साक्षात्कार में भाग लेने की सशर्त अनुमति दी जायेगी। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण–पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जाँच कर और सभी चरणों में योग्य और सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जायेगा, अन्यथा उसे असफल एवं अयोग्य घोषित कर उसे काली सूची में दर्ज किया जा सकता है।

4. शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण अनुभव, अन्य योग्यता तथा आरक्षण से संबंधित सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28.01.2024 तक का निर्गत होना आवश्यक है।
5. योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है।
6. सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा– आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि मूल में एवं इसकी एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
7. इस विज्ञापन के लिए आवेदित उम्मीदवारों की पात्रता/अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से मात्र इस विज्ञापन की साक्षात्कार में प्रवेश की अनुमति दी गई है। उनकी पात्रता/अभ्यर्थिता के संबंध में अंतिम निर्णय विज्ञापन में अंकित शर्तों के आलोक में साक्षात्कार के दिन समर्पित प्रमाण पत्रों एवं उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दावा/भरे गए तथ्यों की विधिवत जाँच/सत्यापन के पश्चात् किया जाएगा।
8. साक्षात्कार पत्र निर्गत होने और साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से किसी भी उम्मीदवार की पात्रता/अभ्यर्थिता सम्पुष्ट नहीं होती है। उम्मीदवार द्वारा ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि एवं उससे संबंधित कागजात में किसी भी प्रकार के भिन्नता रहने/पाये जाने या आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर (साक्षात्कार के समय या उसके उपरांत) उनकी अभ्यर्थिता से संबंधित जाँच के क्रम में विज्ञापन की शर्तों को पुरा नहीं किए जाने/वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा एवं आयोग का उक्त निर्णय सर्वमान्य होगा।
9. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु निर्धारित समय से 1½ घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।
10. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा ब्लू–टूथ, इलेक्ट्रॉनिक पेन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है।
11. साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना